

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार-1. (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 23/2025 GCMS 2025/50

वादीगण :-

1. गोपाल कुमावत पुत्र खेताराम जाति कुमावत निवासी खातियों का मोहल्ला कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन

प्रतिवादीगण :-

1. कंवरी पत्नी श्रवणसिंह जाति जाट निवासी सीतापुर तहसील कुचामन सिटी
2. धारासिंह पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी सीतापुर हाल निवासी वीटी स्कूल के पास, कुचामन सिटी
3. निर्मला पत्नी कैलाशचंद जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी
4. लिक्षमण पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी सीतापुर तहसील कुचामन सिटी
5. तहसीलदार कुचामन सिटी (लेण्ड हॉल्डर)


दावा :- बंटवारा होल्डिंग व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री श्यामलाल कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से

-:निर्णय :-

दिनांक :- 10/06/2025

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भूअ./2025/868 दिनांक 04.06.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 27.05.2025 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। वकील वादी ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 09.05.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :-



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पड़ोसियों ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी में निम्नवत टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार काबिज है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म
1.	गोपाल कुमावत पुत्र खेताराम कुमावत जाति कुमावत सा. कुचामन सिटी	696	0.2024	बरानी 2
2.	कंवरी पत्नी श्रवण सिंह हिस्सा 613/15043	1162/693	0.6908	बरानी 2
	दारासिंह पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 613/15043	1164/691	0.6759	बरानी 2
	लिच्छमण पुत्र देवाराम जाति जाट सा. देह हिस्सा 6908/15043	692	0.02	बरानी 2
	निर्मला पत्नी कैलाशचन्द जाति ब्राह्मण सा. मण्डावरा हिस्सा 6909/15043	696	0.1176	बरानी 2

पक्षकारान मौके पर कब्जानुसार ही जोत विभाजन करवाना चाहता है। पक्षकार का कब्जा काश्त नजरी नक्शा एवं टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार दर्शाया गया है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकार का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

—: आदेश :-

वाद पक्षकारान अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सीतापुर पटवार पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी में निम्नानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान/खातेदारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म
1.	गोपाल कुमावत पुत्र खेताराम कुमावत जाति कुमावत सा. कुचामन सिटी	696	0.2024	बरानी 2
2.	कंवरी पत्नी श्रवण सिंह हिस्सा 613/15043	1162/693	0.6908	बरानी 2
	दारासिंह पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 613/15043	1164/691	0.6759	बरानी 2
	लिच्छमण पुत्र देवाराम जाति जाट सा. देह हिस्सा 6908/15043	692	0.02	बरानी 2
	निर्मला पत्नी कैलाशचन्द जाति ब्राह्मण सा. मण्डावरा हिस्सा 6909/15043	696	0.1176	बरानी 2



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

- 3 - वाद स :-23/2025 गोपाल कुमावत बनाम कंवरी देवी वगैरह
तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक
27.05.2025 एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल
मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं
नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 10/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार-I RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डी डवाना-कुचामन)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)

बईजलास :- श्री सुनील कुमार-I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 23/2025 GCMS 2025/50

वादीगण :-

1. गोपाल कुमावत पुत्र खेताराम जाति कुमावत निवासी खातियों का मोहल्ला कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन

प्रतिवादीगण :-

1. कंवरी पत्नी श्रवणसिंह जाति जाट निवासी सीतापुर तहसील कुचामन सिटी
2. धारासिंह पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी सीतापुर हाल निवासी वीटी स्कूल के पास, कुचामन सिटी
3. निर्मला पत्नी कैलाशचंद जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी
4. लिच्छमण पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी सीतापुर तहसील कुचामन सिटी
5. तहसीलदार कुचामन सिटी (लेण्ड हॉल्डर)

दावा :- बंटवारा होल्डिंग व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री श्यामलाल कुमावत अधिवक्ता हाजिरी...
..... मिनजानिब मुदई रू-बरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद पक्षकारान अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी में निम्नानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान/खातेदारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टयर में	किस्म
1.	गोपाल कुमावत पुत्र खेताराम कुमावत जाति कुमावत सा. कुचामन सिटी	696	0.2024	बरानी 2
2.	कंवरी पत्नी श्रवण सिंह हिस्सा 613/15043	1162/693	0.6908	बरानी 2
	दारासिंह पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 613/15043	1164/691	0.6759	बरानी 2
	लिच्छमण पुत्र देवाराम जाति जाट सा. देह हिस्सा 6908/15043	692	0.02	बरानी 2
	निर्मला पत्नी कैलाशचन्द जाति ब्राह्मण सा. मण्डावरा हिस्सा 6909/15043	696	0.1176	बरानी 2

निज मुबलिग बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ...10... माह ...06... सन् 2025 को जारी

की गई।



(Handwritten Signature)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

- 5 - वाद स :-23/2025 गोपाल कुमावत बनाम कंवरी देवी वगैरह

दस्तखत.....

ओहदा.....

(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



(सुनील कुमार-I RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुवा.मन. (डी.डी.वा.ना. कुवा.मन.)